धोलावड़ में कम पानी, ट्रीपिंग से बिगड़ा जल वितरण

परेशानी ● दो टंकियों से दोपहर में की सप्लाई, इसी माह लगाना पड़ेंगे मड पंप

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। अप्रैल माह की शुरुआत से ही तापमान 43 डिग्री के ऊपर पहुंचने व तेज गर्मी के चलते धोलावड़ जलाशय में भी पानी तेजी से घट रहा है। जलस्तर कम होने से माह के अंत में पानी खींचने के लिए मडपंप लगाना पड़ सकते हैं। अभी इंटकवेल के आगे बने जेकवेल का ऊपरी हिस्सा दिखने लगा है। इधर पानी कम होने से दैनिक मांग के मुकाबले आपूर्ति पर भी असर आ रहा है। रही सही कसर बिजली आपूर्ति के दौरान होने वाली ट्रीपिंग ने पूरी कर दी है। बुधवार को पोलोग्राउंड व गोशाला रोड टंकी समय पर नहीं भर पाने से सुबह की बजाए दोपहर 12 बजे जलवितरण किया गया।

मालूम हो कि अच्छी बारिश के बाद अक्टूबर 2021 तक शहर की जलआपूर्ति का एकमात्र स्रोत धोलावड़ जलाशय पूरी क्षमता (395) मीटर तक भरा था। सिंचाई के लिए पानी देने व गर्मी के कारण पानी कम होने से जलस्तर वर्तमान में 385.1 मीटर पर आ चुका है। पूर्ण क्षमता से लबालब हुआ जलाशय करीब 10 मीटर खाली हो चुका है। डैम पर बने संयंत्र पर तो बिजली आपूर्ति बराबर हो रही है, लेकिन शहर में ऋतुराज संपवेल पर लगे पंप ट्रीपिंग के कारण दिन में एक या दो बार बंद हो जाते हैं। पंप वापस चालू करने में एक से डेढ़ घंटे का समय लगता है। इससे टंकियां भराने में समय अधिक लग रहा है। बुधवार को भी इसी वजह से सप्लाई में देरी हुई। 21-4-22

मड पंप से समय ज्यादा, पानी कम

जलाशय पर बने इंटकवेल से पानी लेने के लिए दो पंप लगे हुए हैं। जलस्तर 388 मीटर से कम होने के बाद पानी जेकवेल से आने लगता है। जेकवेल व इंटकवेल के बीच की दूरी करीब 500 मीटर है। यहां भी पानी कम होने पर फ्लोटिंग प्लेटफार्म पर मडपंप लगाकर पानी जेकवेल में लाकर वहां से इंटकवेल तक पहुंचाया जाता है। 384 मीटर के जलस्तर पर यह व्यवस्था करना पड़ सकती है। शहर में एक दिन में 42 एमएलडी पानी की मांग रहती है। एक दिन छोड़कर जलप्रदाय में निगम एक दिन 25 तो दूसरे दिन 30 एमएलडी पानी की आपूर्ति करता है। इसके अलावा मेडिकल कालेज, इप्का, जिला अस्पताल, एमसीएच में भी एक लाख लीटर से अधिक पानी की आपूर्ति की जा रही है।

प्रतिदिन रतलामवासियों के कंठ तर करने वाला धोलावड़ जलाशय। ● फाइल फोटो

धोलावाड़ मेन लाइन से पानी चोरी पर प्रकरण दर्ज

धोलावड़ व मोरवानी के मध्य 600 एमएम डाया की मेन पाइपलाइन में रामचंद्र पुत्र धन्नाजी निवासी घबाईपाड़ा द्वारा निप्पल लगाकर रात में पानी चोरी कर सिंचाई करने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार दीनदयाल नगर थाने पर प्रकरण दर्ज कराया गया है। रामचंद्र द्वारा पूर्व में भी पानी की चोरी करने पर नगर निगम द्वारा 27 दिसंबर 2021 को एफआइआर के लिए पत्र प्रेषित किया था। दो-तीन दिन पूर्व पुन: पानी की चोरी करने पर निगम कर्मचारियों द्वारा समझाइश देकर लाइन में किया गया छेद बंद कर दिया गया था। इसके बाद भी 19 अप्रैल को पानी चोरी पर बुधवार दीनदयाल नगर थाने पर धारा 353, 427 व सार्वजनिक संपति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया।

धोलावड़ पेयजल पाइप लाइन में किया गया छेद। ● नईदुनिया

> अभी जलाशय में जेकवेल से पानी ले रहे हैं। जलस्तर कम हुआ है, लेकिन आपूर्ति पर कोई असर नहीं आएगा। जरूरत पड़ी तो मडपंप लगाएंगे।
>
> -हनीफ शेख, कार्यपालन यंत्री व जलप्रदाय विभाग प्रभारी नगर निगम

काटजू नगर में 14 अस्थायी अतिक्रमण हटाए

21-4

रतलाम। काटजू नगर स्थित जैन मंदिर के पीछे शासकीय भूमि पर किए गए 14 अस्थायी अतिक्रमण व कबाड़े को जिला प्रशासन व नगर निगम के संयुक्त दल द्वारा हटाया गया। साथ ही लक्कड़पीठा में मदिरा दुकान संचालक द्वारा रोड पर किए गए शेड व अवैध निर्माण को भी हटाया गया। सीएसपी हेमंत चौहान, एसडीएम राजेश शुक्ला, कार्यपालन यंत्री सुरेशचंद्र व्यास, उपयंत्री राजेंद्र मिश्रा, ब्रजेश कुशवाह व राजेश पाटीदार की उपस्थिति में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते द्वारा कार्रवाई की गई।

नालियां साफ नहीं, परन्तु एसटीपी पर लाखों रुपए के सीसीटीवी कैमरे लगाएगा निगम

रतलाम। शहर में सफाई व्यवस्था की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। निगम का अमला लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर सक्रियता दिखा रहा है, लेकिन इसके बाद भी नालियों में गंदगी खत्म नहीं हो रही है। इन नालियों की स्थिति देखने के लिए अफसरों के पास कोई साधन नहीं है, लेकिन अमृत योजना के अंतर्गत सीवरेज प्रोजेक्ट में बनाए गए एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) पर 25-25 लाख रुपये खर्च कर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई गई है। सीसीटीवी से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आनलाइन डाटा जाएगा। इससे प्लांट पर पानी साफ करने सहित अन्य गतिविधियों पर निगरानी की जा सकेगी।

गौरतलब है कि सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत खेतलपुर एवं करमदी में एसटीपी प्लांट बनाए गए हैं। इन प्लांटों से अभी पानी साफ किया जा रहा है। साफ पानी को नगर निगम निर्माण, उद्यान व अन्य गैर पेयजल कार्यों के लिए रियायती दर पर उपलब्ध करा रहा है। निगम के अनुसार दोनों एसटीपी काफी बड़े हैं। सुरक्षा के लिए इनमें सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है। खेतलपुर एसटीपी की क्षमता 21.5 एमएलडी व करमदी एसटीपी की क्षमता 16 एमएलडी है। सीसीटीवी कैमरे लगने पर स्थानीय स्तर की अन्य निगरानी भी की जा सकेगी।

एसटीपी पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना सीवरेज प्रोजेक्ट का हिस्सा है, लेकिन विडंवना है कि एसटीपी पर जिन नालियों का गंदा पानी वहकर आएगा, उनकी गंदगी देखने के इंतजाम कुछ नहीं हैं। निगम का अमला कई दिनों तक नालियों की सफाई नहीं करता। इससे गंदगी के साथ-साथ मच्छरों की भी भरमार हो रही है। निगम के पास इन समस्याओं से निपटने के लिए बजट नहीं है और एसटीपी की निगरानी हेतु कैमरे लगाने पर वह लाखों रुपए खर्च करेगा, इसलिए ये बात 'हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और' वाली साबित हो रही है।

[illegible]

म.प्र. भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण मण्डल की विवाह सहायता योजना में संशोधन

रतलाम। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अन्तर्गत विवाह सहायता योजना में हितग्राहियों को सामाजिक न्याय विभाग की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर विवाह करने पर ही हितलाभ प्राप्त होगा। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि योजनान्तर्गत हितग्राहियों को हितलाभ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से विवाह करने पर मण्डल की विवाह सहायता योजना अन्तर्गत हितलाभ की पात्रता नहीं होगी। उक्त प्रावधान 15 अप्रैल 2022 से लागू हो चुका है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए शिविरों का आयोजन 26 अप्रैल से

शिविर स्थल पर ही हितग्राही का प्रकरण तैयार किया जाएगा

रतलाम । कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत शिविरों का आयोजन जिले में 26 अप्रैल से किया जा रहा है। शिविरों में योजना की जानकारी दी जाएगी, साथ ही स्थल पर ही योग्य हितग्राही का प्रकरण तैयार किया जाएगा। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र श्री मुकेश शर्मा ने बताया कि जिले के जावरा में 26 अप्रैल को जनपद पंचायत में शिविर आयोजित होगा। इसके बाद 27 अप्रैल को पिपलोदा, 28 अप्रैल को आलोट तथा 29 अप्रैल को सैलाना जनपद पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत व्यवसाय तथा सेवा कार्य के लिए 25 लाख रूपए तथा उद्योग के लिए 50 लाख रूपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान 21 अप्रैल को कन्या विवाह योजना का पुनः करेंगे शुभारंभ

21·4

नसरूल्लागंज में सामूहिक विवाह समारोह में होगा 450 से अधिक कन्याओं का विवाह

रतलाम। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के नसरूल्लागंज में 21 अप्रैल को होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का पुनः शुभारंभ करेंगे। कोरोना काल में स्थगित रही यह योजना संशोधित स्वरूप में पुनः शुरू की जा रही है। योजना में प्रति हितग्राही बेटी को 55 हजार रूपये के प्रावधान में 38 हजार रुपये की सामग्री, 11 हजार रूपये का चेक और 6 हजार रूपये आयोजन व्यय शामिल है। सीहोर कलेक्टर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को आयोजन की व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया।मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा वर्ष 2006 में प्रारंभ की गई इस योजना ने बेटियों को बोझ समझने की सदियों पुरानी मानसिकता को ही बदल दिया है। योजना की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन के साथ ही देश के अनेक राज्य इसे अपना चुके हैं।

गंदगी फैलाने पर छह दुकानें सील

रतलाम। नगर निगम द्वारा शहर में गंदगी फैलाने और अमानक पालिथीन का उपयोग करने वालों के खिलाफ सतत कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को 17 व्यक्तियों पर जुर्मांना किया गया। साथ ही कचरा व गंदगी करने पर दो बत्ती क्षेत्र में तीन दुकानों के अलावा रईस खान यूनिक स्टाइल, आमिर शेख एकेएस फैशन शहर सराय व आरबी कलेक्शन की दुकानें सील कर 5000-5000 का जुर्मांना किया गया।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार दूरदर्शन इलेक्ट्रानिक से 2000 रुपये, अरविंद ज्यूस सेंटर, बुरहानी ट्रेडर्स से 1000-1000 रुपये, फातिमा बाई, पुनीत भंडारी, अरिहंत ट्रेडर्स, खालसा आटो पार्ट्स, इदरीश से 500-500 रुपये, साबिर भाई से 250 रुपये, राज रतन, मनोज जोशी से 200-200 रुपये, शाहनवाज खान, चांद मोहम्मद से 100-100 रुपये का जुर्मांना वसूला गया। स्पाट फाइन दल ने सभी को भविष्य में गंदगी नहीं फैलाने व अमानक पालिथीन का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी। कार्रवाई उपयंत्री राजेंद्र मिश्रा के निर्देशन में दल द्वारा की गई।

नई दुनिया 21·4

कॉलोनियों की खेती : तोड़फोड़ के अलावा 17 कॉलोनाइजरों को छू तक नहीं पाई पुलिस, एक और कॉलोनाइजर पर एफआईआर दर्ज

भास्कर पड़ताल

दिसंबर के बाद से कार्रवाई नहीं कर पाया प्रशासन

भास्कर संवाददाता | रतलाम

भूमाफिया के खिलाफ चला कलेक्टर बुलडोजर दिसंबर के बाद से बंद है। तोड़फोड़ के बाद जिन 17 कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, उन्हें पुलिस और प्रशासनिक अमला पकड़ना तो दूर छू नहीं पाया है। उधर बुधवार को कलेक्टर और एसडीएम के कहने पर नायब तहसीलदार मनोज चौहान ने एक और कॉलोनाइजर विजेंद्र कुमार गादिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज करा दिया है। कॉलोनाइजर और भूमाफिया पर ठोस कार्रवाई करने में अफसर पूरी तरह नाकाम रहे हैं। द्वारका रेजीडेंसी, ईंटावामाताजी रोड वाली कॉलोनी, सागोद रोड की कॉटेज कॉलोनी हो या लावण्या पैलेस होटल, बरबड़ की दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के खिलाफ अधिकारी अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं।

विरियाखेड़ी क्षेत्र की सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर बेच दिया था

बुधवार को जिस कॉलोनी के कॉलोनाइजर पर प्रकरण दर्ज हुआ, वह विरियाखेड़ी के सर्वे नंबर 155/1 में बनी है। रिपोर्ट नायब तहसीलदार मनोज चौहान ने करवाई है। इसमें उन्होंने बताया खेरादीवास निवासी विजेंद्र कुमार गादिया ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध लाभ कमाने के लिए प्लॉट काटकर बेच दिए। जांच के बाद नायब तहसीलदार की और से मिले प्रतिवेदन पर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस बनाया है।

21-4-22

अक्टूबर-नवंबर में की थी बड़ी कार्रवाई

नगर निगम ने 2 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच अवैध कॉलोनियों पर पांच बड़ी कार्रवाई की थी। इसमें 9 अवैध अवैध कॉलोनियों में किए गए निर्माण को तोड़ा था। नोटिस देने के बाद 1 दिसंबर को 11 और कुछ दिन बाद 3 कॉलोनियों के 6 कॉलोनाइजरों पर दिनदयाल नगर और स्टेशन रोड पुलिस थाने में एफआईआर करवाई थी।

इन कॉलोनाइजरों पर दर्ज हुए पुलिस प्रकरण

- मुजीब इनामुरेहमान, अशोक नगर
- अशरफ अब्दुल कलाम बेलिम, ईमलीवाली गली मोहन टॉकिज
- अब्दुल वहीद अब्दुल कलाम, मोहन टॉकिज
- तेजसिंह शंभूसिंह, धभाईजी का वास
- शिवनारायण और अशोक मांगीलाल राठौर, रामगढ़
- धन्नालाल बालाराम पाटीदार, कनेरी रोड
- राधाबाई पति मनोहरलाल शर्मा
- राकेश मनोहरलाल
- बिशाल मनोहरलाल शर्मा
- बालकृष्ण रामनारायण पिपलोदिया, महावीर नगर
- सुमीत बंशीलाल गांधी
- राजेश बाबूलाल कटकानी, पोरवाड़ों का वास
- पंकज शांतिलाल श्रीमाल, बाजना बस स्टैंड
- अरूणा विजेंद्र पितलिया, गुलमोहर कॉलोनी
- विजेंद्र पितलिया, गुलमोहर कालोनी।

अमृत सागर का सौंदर्यीकरण

54 012

21-4

नौ दिन चले अढ़ाई कोस

नगर निगम की लापरवाही : अब तक निविदा में उलझा

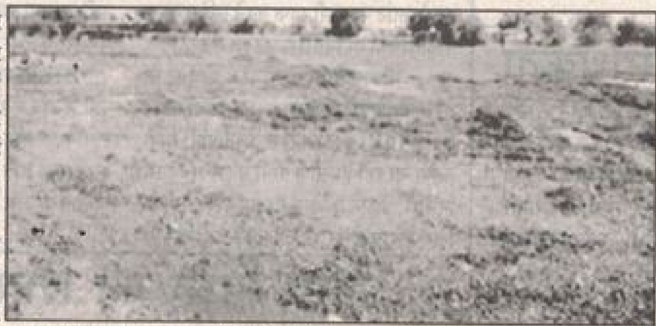

रतलाम। शहर के प्राचीन अमृत सागर तालाब की दुर्दशा में एक साल और गुजर जाने के बाद भी कोई अंतर नहीं आया है। धार्मिक महत्व के स्थलों के पास स्थित इस तालाब के सौंदर्यीकरण हेतु पिछले साल केन्द्र द्वारा झील संरक्षण योजना में 22 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत कर दी गई थी। दिसंबर में एक करोड़ की मशीन से तालाब में जलकुंभी हटाने का कार्य शुरू कराया गया, लेकिन वह भी अब तक पूरा नहीं हुआ। जमीनी स्तर पर इसके अलावा अन्य कोई काम भी नहीं हुआ। निगम अमला अब भी निविदा में ही उलझा है। पहले तालाब की योजना मंजूर होने में सालों लग गए और यही गति रही तो योजना पर अमल होने में भी कई साल लग जाएंगे।

अमृत सागर को लेकर शहरवासियों को बड़े-बड़े दिवास्वप्न दिखाए गए हैं। इनके मुताबिक यह तालाब झील के रूप में विकसित होगा और इसमें वोटिंग भी की जा सकेगी, लेकिन इन सपनों को पूरा होने में ना जाने कितना वक्त लगेगा। वर्तमान में तालाब से जलकुंभी निकालने का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है, जबकि उसे आरंभ हुए चार महीनों से अधिक बीत चुके हैं। तालाब में जलकुंभी निकालने की

..शेष पृष्ठ 8 पर

नालों की सफाई में भी निगम फिसड्डी

जून में वर्षाकाल आरंभ हो जाएगा। इससे शहर की कई बस्तियों में जलजमाव की समस्या निर्मित होगी, क्योंकि नगर निगम ने इन बस्तियों के पास बहने वाले नालों की सफाई की कोई तैयारी अब तक शुरू नहीं की है। हर साल की तरह इस साल भी लगता है निगम अमला बारिश आने पर ही सक्रिय होगा। इन दिनों नालों में कई जगह गंदगी के ढेर लग रहे हैं। निगम द्वारा पिछले सालों में शहर के प्रमुख नालों की पाल बनाने का कार्य कराया गया है, लेकिन इससे उनका प्राकृतिक स्वरूप बदल गया है। इससे नालों का पानी आसपास के क्षेत्रों में अधिक घुसा था। शहरवासियों को पिछले साल अत्यधिक बारिश में घरों में पानी घुसने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। यदि यही हाल रहे, तो इस साल भी उन समस्याओं से निजात नहीं मिलेगी।

पृष्ठ 1 का शेष

मशीन अधिकांश समय खड़ी ही दिखती है। तालाब के मोतीनगर और उद्यान वाले छोर पर जलकुंभी साफ की गई है, लेकिन त्रिपोलिया रोड तरफ बड़े क्षेत्रफल में अभी भी जलकुंभी का साम्राज्य है। इससे तालाब के आसपास बसी कॉलोनियों के रहवासियों को बदबू और मच्छरों के प्रकोप का सामना पूर्ववत करना पड़ रहा है।

पिछले साल शासन द्वारा झील संरक्षण योजना में राशि स्वीकृत होने पर नगर निगम ने सक्रियता दिखाई थी, लेकिन बाद में वह ठंडा पड़ गया। इस योजना में तालाब के चारों ओर पक्की पाल के साथ रेलिंग लगाने का कार्य किया जाना है, वहीं प्रवेश द्वारों के निर्माण सहित कई अन्य कार्य होने हैं। विडंबना है कि अब तक इन कार्यों की निविदा का कार्य ही पूरा नहीं हुआ है। आगामी जून महीने से वर्षाकाल आरंभ हो जाएगा, इसलिए बाद में फिर काम प्रभावित रहेगा।

नगर निगम द्वारा भोपाल की कंपनी की निविदा स्वीकृत कर जून से ही कार्य आरंभ कराने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वर्षाकाल में खुले आसमान के नीचे कैसे और कितना काम होगा, यह सब जानते हैं। बहरहाल अमृत सागर तालाब के साथ-साथ उसके आसपास का क्षेत्र भी नागरिकों के लिए समस्याएं निर्मित कर रहा है। तालाब किनारे की सड़क जर्जर होने से धूल के गुबार उड़ रहे हैं। इस सड़क पर स्थित पुलिया क्षतिग्रस्त होने से भी रहवासियों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तालाब के पास ही नगर निगम द्वारा कचरा संग्रहण स्थल बना हुआ है, जिससे क्षेत्र में कचरा उड़ता रहता है। तालाब से जलकुंभी निकालने का कार्य यदि नगर निगम ने वर्षाकाल से पहले पूरा नहीं किया, तो यह समस्या हमेशा की तरह मुंह बाए खड़ी रहेगी।

प्रधानमंत्री आवास और अन्य योजनाओं के अमल में ढिलाई नहीं होगी सहन- मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन पर अधिकारियों से की चर्चा

उज्जैन । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिवस मंत्रालय भोपाल में 8 विभागों की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के सुचारू अमल पर निरंतर नजर रखी जा रही है। योजनाओं के अमल में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आर्थिक अनियमितता करने वाले अधिकारी दंडित किए जाएंगे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और अन्य संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव आदि उपस्थित थे।

लापरवाह को नहीं छोड़ेंगे, तीन सीईओ हुए हैं निलंबित

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में विशेष रूप से पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना में मिलने वाली राशि का हितग्राही को यदि विलंब से भुगतान होता है, तो योजना में गड़बड़ी का संकेत प्राप्त हो जाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे प्रदेश के विभिन्न स्थानों के दौरे में योजना के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस योजना में हितग्राहियों को किश्त की राशि प्रदान न किए जाने और कर्तव्य में लापरवाही के दोषी तीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खाद्यान्न वितरण, पोषण आहार वितरण, विद्युत देयकों के भुगतान के ?लिए दी गई रियायत, कृषक कल्याण, अनाज उपार्जन, सीएम राइज विद्यालय, राजस्व क्षेत्र में किए गए सुधारों, सुशासन के प्रयासों, सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य नागरिक कल्याण योजनाओं के संबंध में विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निर्धन तबके को मिल रही राशन सामग्री से जुड़े कार्यों में गड़बड़ियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। गरीबों को उनके अधिकार के अनाज का एक-एक दाना मिलना चाहिए। अनाज वितरण के कार्य में लापरवाही बरतने वालों को दंडित किया जाएगा। कालाबाजारियों पर सख्त नियंत्रण रखा जाए।

निर्यात के प्रयास सराहनीय

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के गेहूँ के ? निर्यात के लिए महत्वपूर्ण पहल हुई है। उन्होंने निर्यात के प्रयासों को सराहनीय बताया। वर्तमान में मिस्त्र (इजिप्ट) सहित अन्य देशों में मध्यप्रदेश के गेहूँ की मांग में वृद्धि हुई है। गत एक माह में मध्यप्रदेश से देश के 8 बंदरगाहों तक 87 रेक भेजे गए हैं। करीब ढाई लाख मीट्रिक टन गेहूँ निर्यात किया गया है। मध्यप्रदेश सरकार के फैसले के बाद अब निर्यातकों के लिए पंजीयन के उद्देश्य से ऑनलाइन पोर्टल काम कर रहा है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा भी की जा रही है। आवश्यकतानुसार रेक मिल भी रहे हैं।

रात्रिकालीन सफाई के 2 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम । शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा 17 अप्रैल को निरीक्षण किये जाने पर महेश-प्रभुदयाल व रघु-कन्हैया द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

कचरा गंदगी करने पर 6 दुकानें सील

गदंगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 17 व्यक्तियों पर जुर्माना

प्रसारण न्यूज • रतलाम

21-4

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते है, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत 20 अप्रैल बुधवार को 17 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया, साथ ही कचरा एवं गंदगी करने पर दो बत्ती क्षेत्र में 3 दुकानों के अलावा रईस खान यूनिक स्टाईल, आमिर शेख एकेएस फैशन शहर सराय व आर.बी. कलेक्शन की दुकानें सील कर 5000-5000 का जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक पर 2000, अरविन्द ज्यूस सेंटर, बुरहानी ट्रेडर्स पर 1000-1000, फातिमा बाई, पुनीत भण्डारी, अरिहंत ट्रेडर्स, खालसा आटो पार्ट्स, इदरिश पर 500-500, साबिर भाई पर 250, राज रतन, मनोज जोशी पर 200-200, शाहनवाज खान, चांद मोहम्मद पर 100-100 रूपए का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की कार्यवाही उपयंत्री राजेन्द्र मिश्रा के निर्देशन में स्पॉट फाईन दल द्वारा की गई।

20 अप्रैल बुधवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 239 ट्रीप

रतलाम। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया जा रहा है जिसके तहत 20 अप्रैल बुधवार को 107 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया। 20 अप्रैल बुधवार को डम्पर से 27590 किलो, ट्रेक्टर से 7605 किलो, मैजिक सूखा कचरा 49540 किलो मैजिक गीला कचरा 22500 किलो, सेनेटरी कचरा 2.5 किलो इस तरह कुल 107237.5 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया। कचरा संग्रहण के माध्यम से एकत्रित किये गये 75 किलो सेनेटरी वेस्ट के निपटान/भस्म हेतु रतलाम बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ग्राम बंजली में भेजा गया।

विजेंद्र कुमार गादिया पर दर्ज किया केस

कॉलोनाइजर ने नाले पर कब्जा कर प्लाट काटे और उन्हें बेचा

रतलाम. कॉलोनाइजर ने कालोनी काटने के साथ ही पास से गुजर रहे नाले को भी कब्जे में कर उस पर भूखंड काट दिए। इन भूखंडों का विक्रय भी कर दिया। जांच हुई तो सच सामने आ गया। खेरादीवाल निवासी कालोनाइजर विजेंद्रकुमार गादिया पर कलेक्टर के निर्देश पर औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने धोखाधड़ी का केस पंजीबद्ध किया है।

अनुसार विरियाखेडी स्थित शासकीय नाले की भूमि सर्वे क्रमांक 155/1 पर अतिक्रमण कर अवैध रुप से लाभ कमाने कि नियत से कालोनाइजर विजेंद्र गादिया ने भूखंड विक्रय कर लोगों के साथ धोखाधडी कर दी। गादिया ने विरियाखेडी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 150/3 पर वर्धमान नगर आवसीय कालोनी विकसित करने के लिए नगर एवं ग्राम निवेश से 13 अक्टूबर 2003 को अभिन्यास स्वीकृत कराया था। नगर पालिका निगम से कालोनी विकास के लिए अनुमति प्राप्त नही की। नगर तथा ग्राम निवेश के नक्शे मे शासकीय नाले के सर्वे क्रमांक 155/1 के स्थान को परिवर्तन कर दिया। शासकीय नाले के पटवारी नक्शे अनुसार नगर निगम तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 21.02.2022 को खुदवाया गया। गादिया ने नाले के स्थान को परिवर्तित कर निजी भूमि सर्वे क्र 150/47/2 एवं सर्वे क्रमांक 155/1 नाले की भूमि पर 36 भूखंडधारियो का.प्लाट का कब्जा दे दिया था।

काटजू नगर से 14 अतिक्रमण हटाए

रतलाम. नगर निगम के लोक निर्माण विभाग ने अमले ने बुधवार को शहर के काटजू नगर स्थित जैन मंदिर के पीछे सरकारी भूमि पर किये 14 अस्थायी अतिक्रमण व कबाड़े को हटाया। इस दौरान नगर निगम के अमले के साथ प्रशासन के अधिकारी भी थे। निगम अधिकारियों के अनुसार काटजू नगर के साथ - साथ लक्कड़पीठा में मदिरा दुकान संचालक द्वारा रोड पर किये शेड व अवैध निर्माण को भी हटाया गया।

कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने की जनसुनवाई

63 आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए

रतलाम । जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। जनसुनवाई में कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के अलावा अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे, अपर कलेक्टर श्री अभिषेक गहलोत, एसडीएम श्री राजेशशुक्ला द्वारा भी जनसुनवाई की गई। 63 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जनसुनवाई में स्नेह नगर निवासी दिव्यांग रामकरण तंवर ने बताया कि प्रार्थी आदिवासी विकास विभाग में लेखापाल के पद से वर्ष 2011 में सेवानिवृत्त हुआ था, लेकिन विभाग द्वारा समय से पेंशन नहीं दी जा रही है। वर्तमान में भी जनवरी 22 की पेंशन प्राप्त नहीं हुई है जिससे परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। अतः प्रार्थी को समय पर पेंशन लाभ दिए जाने का कष्ट करें। प्रकरण संबंधित विभाग को निराकरण के लिए भेजा गया है। वेदव्यास कालोनी निवासी अब्दुल हमीद कादरी ने आवेदन में बताया कि ग्राम बरबड पटवारी ह.नं. 19 में सज्जन मिल तालाब स्थित है। उक्त तालाब में विगत कई वर्षों से अवैध रुप से मछली पालन होता आ रहा है और रात्रि में कृषि हेतु जल व मछली की भी चोरी होती रहती है। यदि शासन उक्त तालाब में मछली पालन व्यवसाय आरम्भ कर दे तो लगभग 20 से 25 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। प्रार्थी की उक्त तालाब के समीप ही कृषि भूमि है। अतः प्रार्थी को मछली पालन का व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रकरण निराकरण के लिए मत्स्य विभाग को भेजा गया है।

सन सिटी कालोनी के नागरिकों द्वारा संयुक्त रुप से आवेदन देते हुए जनसुनवाई में बताया गया कि रहवासी क्षेत्र सन सिटी में कतिपय व्यक्ति द्वारा अपने भवन की छत पर मोबाईल टावर लगाए जाने का कार्य किया जा रहा है। टावर लग जाने के बाद समस्त कालोनी के रहवासियों पर हाई रेडिएशन का प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, साथ ही पक्षी भी उक्त रेडिएशन के प्रभाव से प्रभावित होंगे। चूंकि सन सिटी कालोनी व्यावसायिक न होकर पूर्णतः आवासीय कालोनी है अतः कालोनी में मोबाईल टावर के कार्य पर प्रतिबंध लगाया जाकर जनहित में सहयोग प्रदान किया जाए। कल्याण केदारेश्वर सरवन रोड निवासी पंडित युवराज त्रिवेदी ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि वर्ष 2011 में तत्कालीन कलेक्टर महोदय द्वारा कल्याण केदारेश्वर मुख्य मार्ग (0.5 कि.मी) बनाया गया था परन्तु वर्तमान में यह मार्ग जर्जर हो चुका है जिससे श्रद्धालुओं को कल्याण केदारेश्वर आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पडता है। घाट सेक्शन होने के कारण यहां दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। अतः उक्त मार्ग का नवीनीकरण किया जाए। भक्तन की बावडी के आगे स्थित भूमि के भूखण्ड मालिकों द्वारा जनसुनवाई में कहा गया कि नगर पालिक निगम सीमा में स्थित भक्तन की बावडी शमशान के आगे स्थित सर्वे नम्बर 180/3 पर हमारे भूखण्ड है जिस पर हम नागरिकों द्वारा तार व सीमेंट के खंबे से फेंसिंग करवा रखी है परन्तु रचना हाउसिंग सोसायटी द्वारा उक्त भूखण्डों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और की गई फेंसिंग भी जेसीबी मशीन द्वारा तोड दी गई है।

[illegible] 21-4

मप्र में निगमों की रैंकिंग में देवास नगर निगम प्रथम

21-4

देवास। डे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन निधि योजना एवं प्रधानमंत्री स्व निधि योजना भारत सरकार की अति महत्वकांक्षी योजना है। इन योजनाओं के अंतर्गत नगर निगमों के द्वारा हितग्राहियों को रोजगार के अवसर के साथ योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा प्रदान किए जाने हेतु मप्र में 16 नगर निगमों की रैंकिंग शासन द्वारा की गई इसमें नगर पालिक निगम देवास के द्वारा डे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन निधि योजना एवं प्रधानमंत्री स्व निधि योजना के अंतर्गत किए गए उन्मुखी कार्य में डेएनयूएलएम शासन का अति महत्वपूर्ण एवं जनोन्मुखी प्रकोष्ठ है, जहां विभिन्न घटक जैसे स्वयं सहायता समूह का गठन उनका बैंक लिंकेज, निम्न तबकों को स्वरोजगार के अंतर्गत लोन दिलवाना, कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार से जोडना, पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लोन वितरित करवाना आदि कार्य करवाए जाते हैं।

कलेक्टर एवं प्रशासक चंद्रमौली शुक्ला के मार्गदर्शन, आयुक्त विशालसिंह चौहान के निर्देशन व देवास शहरी क्षेत्र की सभी बैंकों के सहयोग से व निगम की एनयूएलएम विभाग प्रमुख उपायुक्त तनुजा मालवीय की सतत मॉनीटरिंग के साथ निगम की टीम के अथक प्रयासों से उक्त योजना में 16 नगर निगमों में की गई रैंकिंग में देवास नगर निगम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। निगम द्वारा योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों पर आयुक्त विशालसिंह चौहान द्वारा विशेष फोकस दिया गया। जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त योजना के तहत स्व सहायता समूह गठन, गरीब युवाओं का कौशल उन्नयन एवं शहरी पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया। नगर पालिक निगम देवास के द्वारा शासन के दिए गए लक्ष्य अनुरूप स्व सहायता समूह गठन के 200 के लक्ष्य के विरूद्ध 206 स्व सहायता समूहों का गठन किया गया। बैंक लिंकेज हेतु 150 स्व सहायता समूह के लक्ष्य के विरुद्ध 156 स्व सहायता समूह का बैंक लिंकेज के माध्यम से 330.00 लाख का ऋण उपलब्ध कराया गया। कौशल प्रशिक्षण के तहत 2010 के लक्ष्य विरुद्ध 1880 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 8372 पथ विक्रेताओं को प्रथम स्ट्रेंच का 10000 रु. का ऋण उपलब्ध कराया गया एवं द्वितीय स्ट्रेंच का 20,000 का 647 पथ विक्रेताओं को ऋण उपलब्ध कराया गया। नगर निगम देवास द्वारा लक्ष्य के अनुरूप उल्लेखनीय कार्य किया गया, जिस कारण आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास मप्र शासन के द्वारा नगर पालिक निगम की श्रेणी में प्रथम स्थान दिया जाकर नगर निगम आयुक्त विशालसिंह चौहान की प्रशंसा करते हुए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया।

नवभारत

सरकारी भूमि पर भूखंड बेचे कालोनाइजर पर केस दर्ज

अपराध ● नाले व अन्य की भूमि पर 36 भूखंडधारियों को दिया कब्जा

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। अवैध कालोनियों, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण व भूखंडों में अनियमितता करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा कालोनीनाइजर आरोपित विजेंद्र गादिया निवासी खेरादीवास के खिलाफ औद्योगिक क्षेत्र थाना पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस ने गादिया के खिलाफ भादवि की धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

शहर एसडीएम राजेश शुक्ला ने बताया कि कालोनाइजर गादिया द्वारा कालोनी विकसित करने के लिए नगर एवं ग्राम निवेश से अभिन्यास स्वीकृत कराया गया, लेकिन नगर पालिका निगम से कालोनी विकास के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त नही की गई। नगर तथा ग्राम निवेश के नक्शे में शासकीय नाले के स्थान को परिवर्तित किया गया तथा अन्य की निजी भूमि एवं नाले की भूमि पर 36 भूखंडधारियों को प्लाट का कब्जा दिया गया। गादिया के खिलाफ शासकीय नाले की भूमि 155/1 पर अतिक्रमण कर शासकीय भूमि पर भूखंड विक्रय करने के संबंध में एफआइआर दर्ज कराई गई है।

नक्शे में नाले की भूमि के स्थान को परिवर्तित किया

ग्राम बिरियाखेड़ी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 150/3 पर वर्धमान नगर आवसीय कालोनी विकसित करने के लिए नगर एवं ग्राम निवेश से अभिन्यास स्वीकृत कराया गया, किन्तु नगर पालिका निगम से कालोनी विकास हेतु आवश्यक अनुमति नहीं ली गई। वहीं नगर तथा ग्राम निवेश के नक्शे मे शासकीय नाले के सर्वे क्रमांक 155/1 के स्थान को परिवर्तन किया गया। शासकीय नाले को पटवारी नक्शे अनुसार नगर निगम तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा 21 फरवरी 2022 को खुदवाया गया। गादिया द्वारा मौके पर नाले के स्थान को परिवर्तित कर अन्य की निजी भूमि सर्वे नंबर 150/47/2 एवं 155/1 नाले की भूमि पर 36 भूखंडधारियों को प्लाट का कब्जा दिया गया।

21-4

ग्रीन रतलाम-क्लीन रतलाम गीत-गायन प्रतियोगिता कल

रतलाम। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर 22 अप्रैल को रतलाम को स्वच्छ व सुंदर बनाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की थीम पर स्वरचित स्वच्छता गीत और इसके गायन की स्पर्धा का आयोजन होगा। प्रतियोगिता में सफल रहे प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया जाएगा। आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश व उपायुक्त विकास सोलंकी के निर्देशन में आयोजित होने वाली गीत-गायन प्रतियोगिता जूनियर और सीनियर वर्ग के लिए होगी। इस दौरान ग्रीन रतलाम-क्लीन रतलाम की थीम पर प्रतियोगियों को स्वरचित गीत का गायन पावर हाउस रोड स्थित लायंस हाल में शुक्रवार शाम पांच बजे से आयोजित कार्यक्रम में करना होगा। सफल रहे प्रतियोगियों को नकद राशि के साथ ही प्रमाण-पत्र भेंट किए जाएंगे। गीत गायन स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी 22 अप्रैल तक वाट्सएप नंबर 9229575956 पर पंजीयन करा सकते हैं।

भूखण्डों में गडबडी, अनियमितता के विरुद्ध कलेक्टर द्वारा सख्त एक्शन

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा अतिक्रमण तथा भूखण्डों में गडबडी, अनियमितता के विरुद्ध सख्त एक्शन ली जा रही है। ऐसे ही एक मामले में शहर के बिरियाखेडी क्षेत्र में विकसित की जा रही वर्धमान नगर कालोनी के भूखण्डों में की गई गडबडी पर प्रशासन द्वारा कालोनाइजर के विरुद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

▶ कालोनाइजर के विरुद्ध एफआईआर कराई

21-4

शहर एसडीएम राजेश शुक्ला ने बताया कि कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी विकसित किए जाने के लिए नगर एवं ग्राम निवेश रतलाम से अभिन्यास स्वीकृत कराया गया, लेकिन नगर पालिका निगम रतलाम से कॉलोनी विकास के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की गई।

नगर तथा ग्राम निवेश के नक्शे में शासकीय नाले के स्थान को परिवर्तित किया गया तथा अन्य की निजी भूमि एवं नाले की भूमि पर 36 भूखंडधारियों को प्लाट का कब्जा दिया गया। इस संबंध में खेरादीवास रतलाम निवासी कॉलोनाइजर विजेंद्र कुमार गादिया द्वारा शासकीय नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर शासकीय भूमि पर भूखंड विक्रय किए जाने पर उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।

जमीनों की गड़बड़ी के मामले में कलेक्टर द्वारा कार्रवाई के निर्देश पर 24 घंटे के अंदर हुई एफआईआर,

अतिक्रमण कर प्लाट विक्रय के मामले में कॉलोनाइजर पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर जमीनों की गड़बड़ी के मामले में एफआईआर कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए थे। कलेक्टर के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर भूखंड विक्रय करने के आरोप में औद्योगिक क्षेत्र थाने में एक कॉलोनाइजर के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है।

ज्ञातव्य है कि कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सोमवार सुबह राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर जमीनों की गड़बड़ी करने वाले कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआइआर कराने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर ने वर्धमान नगर के मामले में भी एफआईआर कराने के निर्देश दिए थे।

कलेक्टर के निर्देश पर रतलाम शहर नायाब तहसीलदार मनोज चौहान के प्रतिवेदन पर औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने कॉलोनाइजर विजेंद्र कुमार के खिलाफ धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि बिरयाखेड़ी स्थित शासकीय नाले की भूमी पर अतिक्रमण कर अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से भूखंडों का विक्रय कर धोखाधड़ी की गई। कॉलोनाइजर द्वारा आवासीय कॉलोनी वर्धमान नगर विकसित करने के लिए नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अभिन्यास स्वीकृत कराया गया, लेकिन नगर निगम से कॉलोनी विकास हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की गई। नगर और ग्राम निवेश विभाग के नक्शे में शासकीय नाले के स्थान को परिवर्तित किया गया। आरोप है कि अन्य निजी भूमि और शासकीय नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर 36 भूखण्ड धारियों को प्लाट पर कब्जा दिया गया। प्रथम दृष्ट्या धोखाधड़ी का मामला प्रतीत होने पर नायाब तहसीलदार के प्रतिवेदन पर पुलिस ने धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

प्रसारण 21-4

15 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरूषोतम के निर्देशानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 20 अप्रैल को प्रातः 14 व दोपहर में 1 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट मे उपस्थित रहते है व दोपहर की शिफ्ट मे बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा। 20 अप्रैल बुधवार को झोन क्रमांक 1 मे विजय-फुलचन्द, अजय-विनोद, बादल-दिलीप, सुनील-शंकरलाल, विशाल-मुकेश, प्रकाश-कैलाश, विजय-हीरालाल, झोन क्रमांक 2 मे रमेश-मुंशी, सुनील-श्यामलाल, संगीताबाई-हरीश, सोमदीप-सुदेश, रवि-सुरेश, शिवकन्याबाई-रमेश, झोन क्रमांक 3 मे मुकेश-गोवर्धन, दोपहर की शिफ्ट मे झोन क्रमांक 2 मे मोहित-गोपाल इस तरह 15 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

21-4 प्रसारण

पूर्व में भी की थी पानी की चोरी

धोलावाड़ मुख्य पाइप लाइन से पानी चोरी करने पर एफआईआर

पत्रिका सिटी हैपनिंग

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

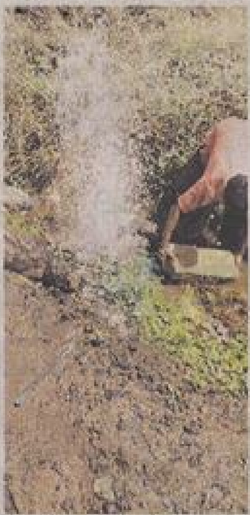

रतलाम. धोलावाड़ व मोरवानी के बीच 600 एमएम डाया की मुख्य पेयजल पाईप लाईन में पानी चोरी करने वाले के खिलाफ नगर निगम ने पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाया है।

नगर निगम के अनुसार रामचन्द्र पिता धन्नाजी निवासी धबाईपाड़ा ने निप्पल लगाकर सायंकाल से रात्री तक पानी चोरी कर खेतों में सिंचाई की। इसकी जानकारी मिलने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने दीनदयाल नगर थाने में संबंधीत की पुलिस प्राथमिकी दर्ज करवाई है।

पूर्व में भी है पानी की चोरी

पत्रिका 21-4

नगर निगम के अनुसार रामचन्द्र पिता धन्नाजी निवासी धबाईपाड़ा ने पूर्व में भी धोलावाड व मोरवानी के मध्य 600 एमएम डाया की मुख्य पेयजल पाईप लाईन में निप्पल लगाकर पानी की चोरी किये जाने पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराये जाने हेतु नगर निगम द्वारा 27 दिसम्बर को पत्र भेजा था। वर्तमान में सबंधित द्वारा दो-तीन दिन पूर्व फिर पानी की चोरी किये जाने पर निगम कर्मचारियों ने समझाया था व जो छेद किया गया था उसको बंद किया था। 19 अप्रैल को पानी की चोरी किये जाने पर बुधवार को दीनदयाल नगर थाने में पत्र भेजकर संबंधित के विरूद्ध आईपीसी की धारा 353, 427 व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए उमड़ रही बच्चों की भीड

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. स्कूली बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन के पहले डोज के बाद अब दूसरे डोज के लिए फिर से इनकी भीड उमड़ने लगी है। दूसरा डोज लगवाने के लिए बच्चे फिर स्कूलों में पहुंचने लगे हैं, जहां पर कतार लगना शुरू हो गई है। वैक्सीनेशन के लिए बच्चों की जागरूकता देखते ही बन रही है। स्कूलों में अचानक से बच्चों की भीड़ बढ़ने पर वैक्सीनेशन के लिए टीम को बढ़ाना पड़ गया।

छह दुकानें सील की गई, 17 लोगों पर किया जुर्माना

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क 21-4.
patrika.com

रतलाम. नगर निगम के स्पॉट फाइल दल ने बुधवार को शहर में गंदगी करने पर छह दुकाने सील की व 17 अन्य व्यक्तियों पर अर्थदंड लगाया गया।

न्यूज़ ब्रीफ

गंदगी करने पर 6 दुकानें सील, 17 पर किया जुर्माना

रतलाम | कचरा डालकर सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर स्पॉट फाइन टीम ने 6 दुकानों को सील कर दिया। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर 17 व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया। आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश पर दो बत्ती क्षेत्र की तीन दुकानों के अलावा रईस खान यूनिक स्टाइल, आमिर शेख एकेएस फैशन शहर सराय, आरबी कलेक्शन की दुकान को सील कर दिया।

21-4

15 सफाई मित्रों का एक दिन का वेतन काटा

रतलाम | सफाई व्यवस्था के निरीक्षण में बुधवार कि 15 सफाई कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं मिले। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने सभी का एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। साथ ही नोटिस जारी किए हैं। इनमें जोन एक में 7, जोन दो में 7, जोन तीन का 1 कर्मचारी शामिल हैं। भास्कर

धोलावाड़ मुख्य पाईप लाईन से पानी चोरी करने पर रामचन्द्र-धन्नाजी पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज

प्रसारण न्यूज़ * रतलाम

धोलावाड़ व मोरवानी के मध्य 600 एमएम डाया की मुख्य पेयजल पाईप लाईन में रामचन्द्र पिता धन्नाजी निवासी धबाईपाड़ा द्वारा निप्पल लगाकर सायंकाल से रात्री तक पानी चोरी कर खेतों में सिंचाई करने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार दीनदयाल नगर थाने में संबंधीत की पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई। रामचन्द्र पिता धन्नाजी निवासी धबाईपाड़ा द्वारा पूर्व में भी धोलावाड़ व मोरवानी के मध्य 600 एमएम डाया की मुख्य पेयजल पाईप लाईन में रामचन्द्र पिता धन्नाजी निवासी धबाईपाड़ा द्वारा निप्पल लगाकर पानी की चोरी किये जाने पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराये जाने हेतु नगर निगम द्वारा 27 दिसम्बर को पत्र प्रेषित किया गया था। वर्तमान में संबंधित द्वारा दो-तीन दिन पूर्व पुनः पानी की चोरी किये जाने पर निगम कर्मचारियों द्वारा समझाईश दी जाकर छेद बंद कर दिया गया था किन्तु पुनः 19 अप्रैल को पानी की चोरी किये जाने पर आज दीनदयाल नगर थाने में पत्र प्रेशित किया जाकर संबंधित के विरूद्ध धारा 353, 427 व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

21-4

ग्रीन रतलाम - क्लीन रतलाम गीत-गायन प्रतियोगिता 22 अप्रेल को

रतलाम। आगामी 22 अप्रेल विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर रतलाम को स्वच्छ व सुंदर बनाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की थीम पर स्वरचित स्वच्छता गीत और इसके गायन की स्पर्धा का आयोजन आगामी 22 अप्रेल को कर रहा है। इस प्रतियोगिता में सफल रहे प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश व उपायुक्त विकास सोलंकी के निर्देशन में आयोजित होने वाली गीत गायन प्रतियोगिता जूनियर और सीनियर वर्ग के लिए होगी। इस प्रतियोगिता के दौरान ग्रीन रतलाम - क्लीन रतलाम की थीम पर प्रतियोगियों को स्वरचित गीत का गायन पावर हाउस रोड स्थित लायन्स हाल में 22 अप्रेल शुक्रवार को शाम 5 बजे से आयोजित कार्यक्रम में करना होगा। प्रतियोगिता में सफल रहे प्रतियोगियों को नकद राशि के साथ ही शील्ड व प्रमाणपत्र भेंट किए जाएगे। गीत गायन स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी 22 अप्रेल दोपहर 3 बजे तक व्हाटसॉप नम्बर 9229575956 पर अपना पंजीयन करा सकते है।

प्रसारण 21-4

काटजू नगर में शासकीय भूमि से हटाये 14 अवैध अस्थायी अतिक्रमण

रतलाम। काटजू नगर स्थित जैन मंदिर के पीछे शासकीय भूमि पर किए गए 14 अस्थायी अतिक्रमण व कबाड़े को जिला प्रशासन व नगर निगम के संयुक्त दल द्वारा हटाया गया, साथ ही लकड़पीठा में मदिरा दुकान संचालक द्वारा रोड़ पर किए शेड व अवैध निर्माण को भी हटाया गया। अवैध अस्थायी निर्माण को सी एस पी हेमन्त चौहान, एस डी एम राकेश शुक्ला, कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, उपयंत्री राजेन्द्र मिश्रा, ब्रजेश कुशवाह व राजेश पाटीदार की उपस्थिति में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते द्वारा हटाया गया।

21-4-22

जमीनों की गड़बड़ी के मामले कलेक्टर ने दिए थे निर्देश

कॉलोनाइजर के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

21-4-22

2 दिन पूर्व कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर जमीनों की गड़बड़ी के मामले में एफआईआर कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए थे। कलेक्टर के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर भूखंड विक्रय करने के आरोप में औद्योगिक क्षेत्र थाने में एक कॉलोनाइजर के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है। ज्ञातव्य है कि कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सोमवार सुबह राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर जमीनों की गड़बड़ी करने वाले कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआइआर कराने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर ने वर्धमान नगर के मामले में भी एफआईआर कराने के निर्देश दिए थे।

कलेक्टर के निर्देश पर रतलाम शहर नायाब तहसीलदार मनोज चौहान के प्रतिवेदन पर औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने कॉलोनाइजर विजेंद्र कुमार के खिलाफ धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है।

आरोप है कि बिरयाखेड़ी स्थित शासकीय नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध लाभ कमाने के उद्देश से भूखंडों का विक्रय कर धोखाधड़ी की गई. कॉलोनाइजर द्वारा आवासीय कॉलोनी वर्धमान नगर विकसित करने के लिए नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अभिन्यास स्वीकृत कराया गया, लेकिन नगर निगम से कॉलोनी विकास हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की गई. नगर और ग्राम निवेश विभाग के नक्शे में शासकीय नाले के स्थान को परिवर्तित किया गया. आरोप है कि अन्य निजी भूमि और शासकीय नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर 36 भूखण्ड धारियों को प्लाट पर कब्जा दिया गया. प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला प्रतीत होने पर नायाब तहसीलदार के प्रतिवेदन पर पुलिस ने धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

कचरा गंदगी करने पर 9 दुकानें सील

21-4

रतलाम ● ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते है, अमानक पॉलिथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबधितो पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जा रही है जिसके तहत 11 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। साथ ही कचरा एवं गंदगी करने पर विश्व मंगल सरकार फ्रूट, श्रीकृष्ण रेस्टोरेंट, एवं फ्रेश वेजीटेबल फ्रूट मार्केट, सब्जी फल की दुकान व 5 पान की दुकानें सील की गई।

असंगठित श्रमिकों का सम्मेलन हुआ

21-4

रतलाम. भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने श्रमिकों का सम्मेलन का आयोजन किया। इसरार रेहमानी जिला कार्यालय मंत्री ने बताया इब्राहिम शेरानी, मंसूर जमादार, मुबारिक शेरानी ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वाधान में असंगठित श्रमिको के सम्मेलन का आयोजन कर वेंडिंग नेम प्लेट एवं प्रधानमंत्री के संदेश को अतिथियों के द्वारा वितरित कराया गया। इब्राहिम शेरानी सहित अन्य उपस्थित रहे। संचालन जिला महामंत्री प्रो इमरान हुसैन व आभार जिला मीडिया प्रभारी मुबारिक शेरानी ने व्यक्त किया। बबलू पटेल, वाजिद खान, रईस कुरेशी, सलीम नेताजी, हमीद खान, लतीफ बा, शेख अजरुद्दीन, जाकिर हुसैन अजहर मंसूरी, शरीफ कुरेशी, इमरान खान, अकबर कुरेशी आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।

जमीनों की गड़बड़ी के मामले में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा कार्रवाई के निर्देश पर 24 घंटे के अंदर हुई एफआईआर

अतिक्रमण कर प्लाट विक्रय के मामले में कॉलोनाइजर पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर जमीनों की गड़बड़ी के मामले में एफआईआर कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए थे। कलेक्टर के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर भूखंड विक्रय करने के आरोप में औद्योगिक क्षेत्र थाने में एक कॉलोनाइजर के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है। ज्ञातव्य है कि कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सोमवार सुबह राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर जमीनों की गड़बड़ी करने वाले कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआइआर कराने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर ने वर्धमान नगर के मामले में भी एफआईआर कराने के निर्देश दिए थे।

कलेक्टर के निर्देश पर रतलाम शहर नायाब तहसीलदार मनोज चौहान के प्रतिवेदन पर औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने कॉलोनाइजर विजेंद्र कुमार के खिलाफ धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि बिरयाखेड़ी स्थित शासकीय नाले की भूमी पर अतिक्रमण कर अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से भूखंडों का विक्रय कर धोखाधड़ी की गई। कॉलोनाइजर द्वारा

आवासीय कॉलोनी वर्धमान नगर विकसित करने के लिए नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अभिन्यास स्वीकृत कराया गया, लेकिन नगर निगम से कॉलोनी विकास हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की गई। नगर और ग्राम निवेश विभाग के नक्शे में शासकीय नाले के स्थान को परिवर्तित किया गया। आरोप है कि अन्य निजी भूमि और शासकीय नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर 36 भूखण्ड धारियों को प्लाट पर कब्जा दिया गया। प्रथम दृष्ट्या धोखाधड़ी का मामला प्रतीत होने पर नायाब तहसीलदार के प्रतिवेदन पर पुलिस ने धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

21-4-22

आईटीआई में अप्रेंटिसशिप जॉब फेयर 21 अप्रैल को

रतलाम। शासकीय आईटीआई सैलाना रोड रतलाम में अप्रेंटिसशिप जॉब फेयर 21 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा जिसमें लगभग 380 पदों पर विभिन्न कंपनियों द्वारा भर्ती की जाएगी। आईटीआई प्राचार्य यू.पी. अहिरवार ने बताया कि जॉब फेयर में इप्का लेबोरेटरीज रतलाम, अंकलेसरिया ऑटोमोबाइल रतलाम, पटेल मोटर्स रतलाम, श्री राम स्विच गियर रतलाम, डीपी वायर रतलाम, कटारिया इंडस्ट्रीज रतलाम, कटारिया प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड रतलाम द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। इनके अलावा वेस्टर्न रेलवे रतलाम द्वारा कारपेंटर, पेंटर, जनरल पाइप फिटर, प्लंबर, सिविल ड्राफ्टसमैन की भर्ती की जाएगी। फरीदाबाद की जेबीएम ऑटो लिमिटेड भी वेल्डर, फिटर, शीट मेटल वर्कर पदों पर भर्ती करेगी। इच्छुक आवेदक 21 अप्रैल को प्रात: 10.30 बजे आईटीआई परिसर में अपने आवश्यक दस्तावेज, फोटो, शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां एवं आधार कार्ड की छाया प्रति बायोडाटा के साथ उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं। विस्तृत जानकारी आईटीआई कार्यालय रतलाम से कार्यालयीन समय मे प्राप्त की जा सकती है।

भूखंडों में गड़बड़ी, अनियमितता के विरुद्ध कलेक्टर ने लिया सख्त एक्शन

कॉलोनाइजर विजेन्द्र गादिया के विरुद्ध एफआईआर

रतलाम, (निप्र)। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा अतिक्रमण तथा भूखण्डों में गडबडीए अनियमितता के विरुद्ध सख्त एक्शन ली जा रही है। ऐसे ही एक मामले में शहर के विरियाखेडी क्षेत्र में विकसित की जा रही वर्धमान नगर कालोनी के भूखण्डों में की गई गडबडी पर प्रशासन द्वारा कालोनाइजर विजेन्द्र गादिया के विरुद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

शहर एसडीएम राजेश शुक्ला ने बताया कि कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी विकसित किए जाने के लिए नगर एवं ग्राम निवेश रतलाम से अभिन्यास स्वीकृत कराया गयाए लेकिन नगर पालिका निगम रतलाम से कॉलोनी विकास के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की गई। नगर तथा ग्राम निवेश के नक्शे में शासकीय नाले के स्थान को परिवर्तित किया गया तथा अन्य की निजी भूमि एवं नाले की भूमि पर 36 भूखंडधारियों को प्लाट का कब्जा दिया गया। इस संबंध में खेरादीवास रतलाम निवासी कॉलोनाइजर विजेंद्र कुमार गादिया द्वारा शासकीय नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर शासकीय भूमि पर भूखंड विक्रय किए जाने पर उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। 21-4

अमृत सागर उद्यान से शुरू की योजना, शहर में करेंगे लागू

नवाचार : अब पौधे बताएंगे अपनी विशेषता, जान सकेंगे पूरा ब्यौरा

पत्रिका सोशल कनेक्ट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

21-4

रतलाम. आयुर्वेद के अनुसार कई गुणकारी पौधे होते हैं, यह पौधे गुणकारी तो होते हैं, लेकिन इनके गुण से लेकर विशेषता के बारे में हर किसी को पता नहीं रहता है। अब इन पौधों के गुण के बारे में जानकारी चाहिए तो शहर के बाग - बगीचों में हर पौधे के बारे में पूरी विशेषता लिखी मिलेगी। शुरुआत नगर निगम ने अमृत सागर बगीचे से कर दी है।

आमतौर पर शहर में समय - समय पर पौधारोपण अभियान चलता है तब पौधा लगाकर इसको लगाने वाले भूल जाते हैं। नगर निगम ने शहर में इससे अलग काम की शुरुआत की है। आयुर्वेद में गुणकारी बताए गए करीब 50 प्रकार के पौधों को निगम ने अमृत सागर बगीचे में लगाया है। इन पौधों के करीब ही छोटा सा बोर्ड लगाया है। इस पर पौधे का नाम साथ - साथ पौधा आयुर्वेद के अनुसार किस काम आता है, यह भी विस्तार से लिखा हुआ है।

इन पौधों को लगाया है

नगर निगम के उद्यान विभाग ने तुलसी, पत्थर चट्टा, आम, बहेड़ा, गुडहल, अमरूद, पपीता, सीताफल, जामुन, नीम, बादाम, बेलपत्र, मीठा नीम आदि को लगाया है। आमजन तुलसी, नीम की विशेषता तो सहजता से जानता है, लेकिन सीताफल, गुडहल, बहेड़ा के बारे में कम को या आयुर्वेद के विशेषज्ञों को ही इस बारे में पता रहता है। ऐसे में आमजन का इस बगीचे में जाने पर जानकारी तो बढ़ेगी ही इसके साथ - साथ पौधों के सामान्य उपयोग के बारे में भी पता चल सकेगा। इतना ही नहीं, इन पौधों को आमजन अपने घर में भी लगा सकेगा।

अन्य बगीचों में शुरुआत

फ़िलहाल इस नवाचार की शुरुआत नगर निगम ने अमृत सागर बगीचे से की है लेकिन शहर में जो चार अन्य बगीचों को विकसीत किए जाने की योजना है, उसमे भी इसी प्रकार के पौधों के साथ - साथ उनके गुण के बारे में लिखा छोटा बोर्ड लगाया जाएगा। शहर के हनुमान ताल, कालिका माता सहित अन्य बगीचों में भी निगम इस प्रकार के नवाचार को पौधा लगाकर करेगी।

आमजन भी आगे आए

नगर निगम शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में तो काम कर ही रही है, इसके साथ - साथ पर्यावरण की दिशा में भी काम किया जा रहा है। आमजन से अपील है कि वे भी आगे आए व अपने घर के बाहर एक पौधा लगाए। - **सोमनाथ झारिया,** आयुक्त नगर निगम

निगमायुक्त बड़े अतिक्रमण चिन्हित करें, हटाने की कार्रवाई की ज़ाए

रतलाम आज तक 20-4.

कलेक्टर ने समय सीमा पत्रों की बैठक में समीक्षा की, भूमि की गड़बड़ी वाले मामलों में प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश

रतलाम । कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सोमवार को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही गतिविधियों तथा शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर ने निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि शहर में बड़े अतिक्रमण चिन्हित करें, उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जिन कॉलोनाइजर्स, भूमाफियाओं द्वारा जमीन के मामलों में गड़बड़ी की गई है उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराए जाएंगे। इस दौरान कलेक्टर ने वर्धमान नगर कॉलोनाइजर द्वारा की गई गड़बड़ी पर उसके विरुद्ध एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज कराने के निर्देश एसडीएम को दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अभिषेक गहलोत, निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया, एसडीएम श्री राजेश शुक्ला, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.एच. चौधरी, डूडा परियोजना अधिकारी श्री अरुण पाठक, जिला महिला बाल विकास अधिकारी श्री रजनीश सिन्हा, सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कृषि विभाग तथा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा शिकायतों के निपटान में धीमी गति पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में कृषि विभाग वर्तमान में 30 वीं रैंक पर है तथा लीड बैंक 48 वीं रैंक पर है। कलेक्टर द्वारा कृषि विभाग के समस्त अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग के तहत सैलाना विकासखंड में एसडीएम सैलाना द्वारा की गई जांच के दौरान 23 कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजर अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर ने सभी ऑर्गेनाइजर्स की अनुपस्थिति दिवस की सैलरी काटने के निर्देश दिए। रतलाम शहर में व्यवस्था के दृष्टिगत कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त को निर्देशित किया गया कि 24 अप्रैल से सभी सब्जी, फल विक्रेता शहर में विक्रय नहीं करेंगे, उनको त्रिवेणी, सैलाना ब्रिज के नीचे, साक्षी पेट्रोल पंप के सामने तथा जवाहर नगर शमशान के समीप विक्रय के लिए स्थान दिया जा रहा है। कलेक्टर ने कृषि विभाग के तहत आत्मा परियोजना के संचालक श्री नगेश को निर्देशित किया कि वह एक सप्ताह के दौरान उनके द्वारा संपादित कार्यों की जानकारी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करें। आयुष्मान कार्ड निर्माण की समीक्षा भी की गई। सैलाना, बाजना में कार्य की गति अत्यंत धीमी पाई गई। बाजना में 30 हजार कार्ड बनना शेष है। सैलाना में 11 हजार कार्ड बनाए जाना है। कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी धीमी गति से कैसे काम चलेगा, कार्य की रफ्तार बढ़ाई जाए। समर्थन मूल्य पर जिले में गेहूं की भी समीक्षा कलेक्टर द्वारा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जिन स्थानों से शिकायत प्राप्त होगी, उन स्थानों पर केंद्र प्रबंधक नोडल अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

एक दिन का ब्रेक बेकार

गंगासागर टंकी से 10 घंटे, गोशाला से 6.30 घंटे और पोलोग्राउंड से 6 घंटे लेट मिला पानी

बिगड़ सकते हैं हालात : मांग 35 एमएलडी, धोलावड़ से आ रहा 31 से 32 एमएलडी

भास्कर संवाददाता | रतलाम

21-4

एक दिन का ब्रेक लेने के बावजूद शहर का पेयजल सिस्टम नहीं सुधरा है। खासकर पटरी पार के इलाके का, जहां कई दिनों की तरह बुधवार को गंगासागर टंकी से 10 घंटे देरी यानी सुबह 6 के बजाए शाम 5 बजे से पानी दिया गया। वहीं गौशाला टंकी से 6.30 घंटे की देरी से यानी सुबह 6 बजे की बजाए दोपहर 12 बजे से तथा पोलोग्राउंड टंकी से 6 घंटे की देरी से सुबह 6 के बजाए दोपहर 12 बजे सप्लाई दी गई। इसके अलावा कई इलाकों में गंदा पानी, कम प्रेशर से नल चलने समेत कई परेशानी बनी हुई है। इन परेशानियों की मूल वजह मांग और आपूर्ति में अंतर का बढ़ते जाना है। वर्तमान में शहर की पानी की जरूरत 34 से 35 एमएलडी तक पहुंच चुकी है। इसके विपरीत धोलावड़ डेम से 31 से 32 एमएलडी पानी ही मिल पा रहा है। यह 3 से 4 एमएलडी का अंतर आगामी दिनों में शहर के बाहरी इलाकों में जलसंकट के रूप में सामने आ सकता है।

यहां हो सकती है पानी की कमी : सुभाष नगर, प्रताप नगर, गंगासागर, श्रीनगर, बजरंग नगर, दिलीप नगर, शिवशंकर कॉलोनी, अर्जुन नगर, ऊंकाला रोड, मोती नगर, विरियाखेड़ी, बरबड़ आदि।

नयागांव में इस तरह मटमैला पानी सप्लाई किया जा रहा है।

लाइन फोड़कर पानी चुराने वाले धन्नाजी पर केस दर्ज

धोलावाड़ डैम से आ रही मुख्य पाइप लाइन फोड़कर पानी चुराने वाले रामचंद्र धन्नाजी पर नगर निगम ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। जलप्रदाय अमले ने 19 अप्रैल को मोरवानी फिल्टर प्लांट के आगे पानी चोरी पकड़ी थी। इसमें धबाईपाड़ा के रामचंद्र को 600 एमएम की मुख्य पाइप लाइन में निप्पल लगाकर पानी चोरी करते पकड़ा था। इस चोरी किए पानी से रामचंद्र खेती करता था। निगम ने पूरी पाइप लाइन जब्त कर ली थी। आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश पर बुधवार को दीनदयाल नगर थाने ने केस दर्ज कर लिया है।

धोलावड़ डेम के जलस्तर की स्थिति

क्षमता	395 मीटर
अक्टूबर	394.5 मीटर
20 अप्रैल	385.10 मीटर
डेड स्टोरज	380 मीटर

उठी आवाज : वार्ड 7 वाले पहुंचे

अनियमित व गंदे पेयजल समेत अन्य शिकायत लेकर वार्ड 7 के निवासी आयुक्त सोमनाथ झारिया से मिलने जा पहुंचे। अलकापुरी स्थित आयुक्त के निवास पर वंदना पुरोहित समेत साथ गए लोगों ने आयुक्त को सारी समस्या बताई। आयुक्त ने निराकरण का आश्वासन दिया।

आईटीआई में अप्रेंटिसशिप जॉब फेयर आज

भास्कर संवाददाता | रतलाम

शासकीय आईटीआई सैलाना रोड में अप्रेंटिसशिप जॉब फेयर 21 अप्रैल को लगेगा। इसमें 380 पदों पर विभिन्न कंपनियों द्वारा भर्ती की जाएगी।

जॉब फेयर में इप्का लेबोरेटरीज रतलाम, अंकलेसरिया ऑटोमोबाइल रतलाम, पटेल मोटर्स रतलाम, श्री राम स्विच गियर रतलाम, डीपी वायर रतलाम, कटारिया इंडस्ट्रीज रतलाम, कटारिया प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड रतलाम द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। इनके अलावा वेस्टर्न रेलवे रतलाम द्वारा कारपेंटर, पेंटर, जनरल पाइप फिटर, प्लंबर, सिविल ड्राफ्ट्समैन की भर्ती की जाएगी। फरीदाबाद की जेबीएम ऑटो लिमिटेड भी वेल्डर, फिटर, शीट मेटल वर्कर पदों पर भर्ती करेगी।

इच्छुक आवेदक 21 अप्रैल को सुबह 10.30 बजे आईटीआई परिसर में अपने आवश्यक दस्तावेज, फोटो, शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतियां और आधार कार्ड की छाया प्रति बायोडाटा के साथ शामिल हो सकते हैं।

सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण

रतलाम | काटजू नगर जैन मंदिर के पीछे वाली सरकारी जमीन से बुधवार को नगर निगम और प्रशासन के दल ने 14 अस्थाई अतिक्रमण और कबाड़े को हटाया। दल ने लक्कड़पीठा में मदिरा दुकान संचालक द्वारा रोड पर बनाए गए शेड व अवैध निर्माण को भी हटाया। एसडीएम राकेश शुक्ला, कार्यपालन यंत्री सुरेशचंद्र व्यास, उपयंत्री राजेंद्र मिश्रा, बृजेश कुशवाह, राजेश पाटीदार सहित अन्य उपस्थित रहे। 24

21-4-

9/12-02